

313

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्र. क्र. /13

321
25-6-13



R. 2914-II/13

श्री आ. के. देव पांडेय
एफ. व्हाटा पोस्टा
25-06-13

गोविन्द प्रसाद तनय श्री सूर्यबली राम ब्रा. उम्र 80 साल, निवासी ग्राम हिनौता,
उप तहसील महुवास, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0-आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

इन्द्रजीत प्रसाद तनय शिवशरण राम ब्रा. सा. टटिहरा, हाल मुकाम मझौली
जिला सीधी म0प्र0

नं.
2-2-7-13

- 2- मोल्ह पिता दुलारे राम उम्र 60 साल, पेशा खेती
- 3- मंगल पिता दुलारे राम उम्र 36 साल, पेशा खेती व नौकरी
- 4- छोटेलाल पिता बुधदसेन राम मिश्रा उम्र 48 साल, पेशा खेती
- 5- सन्तोष कुमार पिता बुधदसेन मिश्रा उम्र 28 साल,
सभी निवासी ग्राम हिनौता, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0,

- 6- म0प्र0 शासन
- 7- बैजनाथ तनय श्री बुधदसेन राम उम्र 58 साल,
- 8- गनेशिया पुत्री बुधदसेन राम उम्र 53 साल
- 9- धीरा पुत्री शंखर उम्र 48 साल
- 10- यन्नारायण तनय बुधदसेन राम उम्र 46 साल,
- 11- अशोक कुमार तनय बुधदसेन राम उम्र 38 साल,

सभी निवासी ग्राम हिनौता, उप तहसील महुवास, तहसील मझौली, जिला
सीधी म0प्र0 -

-अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विस्तृत आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर
क्लेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी के पुरकष
क्रमांक 504/निग./08-09, आदेश दिनांक
30-3-2013,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 व राजस्व
संहिता 1059 इ. 1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R2914-II/13

जिला-सीधी

गोविन्द प्रसाद ब्रा0/ इन्द्रजीत प्रसाद वैसवार

(1)	(2)	(3)
<p>05/08/19</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 504/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30.03.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	